न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 02/2022 दायरा दिनांक 24.03.2022

पीठासीन अधिकारी :– श्री राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

1. गुड्डी पुत्री सुन्दरलाल जाति किराड निवासी सालोदा तहसील बमोरी जिला–गुना(म.प्र)
2. कन्हैया पुत्र रंगीलाल जाति किराड निवासी लेवा तहसील कोलारस जिला–शिवपुरी(म.प्र.)
3. प्रकाश पुत्र रंगीलाल जाति किराड निवासी लेवा तहसील कोलारस जिला–शिवपुरी(म.प्र.)
4. बन्टी पुत्र रंगीलाल जाति किराड निवासी लेवा तहसील कोलारस जिला–शिवपुरी(म.प्र.)
5. उर्मिला पुत्री रंगीलाल जाति किराड निवासी लेवा तहसील कोलारस जिला–शिवपुरी(म.प्र.)
6. उर्मिला धाकड पुत्री सुन्दरलाल जाति किराड निवासी कुमरौआ तहसील कोलारस जिला– शिवुपरी

– अपीलाण्टगण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद जिला बारां – राजस्थान

– रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–

श्री अरविन्द शर्मा – अभिभाषक अपीलान्ट।

पैराकार सरकार – रेस्पोडेन्ट।

निर्णय दिनांक 23.06.2022

अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 166 दिनांक 31.12.2001 ग्राम मंडीसहजना तहसील शाहबाद जिला बारां

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 31.12.2001 ग्राम मंडीसहजना को निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत की है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये रेस्पोडेण्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी में प्राप्त मण्डी सहजना में खसरा नम्बर 233/1 रकबा 15.00 बीघा भूमि अपीलान्ट क्रम 1 गुड्डी की खातेदारी में फौती नामान्तरकरण संख्या 166 दिनांक 31.12.2001 दर्ज की गई है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 166 सर्वथा अवैध व विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। मृतक खातेदार सुन्दरलाल के वारिसान में तीन पुत्रियां उर्मिला, गुडडी, रामवती व पत्नि कस्तुरी हैं। रामवती फौत हो चुकी है। जिसके वारिसान क्रमशः अपीलान्ट क्रम 2 लगायत 5 है। मृतक का फौती इन्तकाल अपीलान्टक्रम 1 के नाम दर्ज कर दिया गया व अपीलान्ट्स समस्त के नाम नामान्तरकरण दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.07.26 15:28:50 IST
Reason: SelfAttested

किया जाना चाहिए था। मृतक सुन्दरलाल का पारिवारिक सजरा संलग्न अपील है। लिहाजा अपीलान्टक्रम 1 के नाम नामान्तरकरण सर्वथा विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अवैध रूप से दर्ज किये गये अपीलाधीन इन्तकाल अपीलान्ट्स को ज्ञान नहीं था दिनांक 18.02.2022 को नकल प्राप्त करने पर इन्तकाल का ज्ञान हुआ। तिथि जानकारी से अपील अवधि मध्य पेश है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की एक पक्षिय बहस सुनी गई। अपीलान्ट अधिवक्ता ने कथन किया कि मृतक खातेदार सुन्दरलाल के वारिसान में तीन पुत्री क्रमशः उर्मिला. गुडडी. रामवती व पत्नि कस्तुरी हैं। रामवती फौत हो चुकी है। जिसके वारिसान क्रमशः अपीलान्ट क्रम 2 लगायत 5 है। मृतक का फोती इन्तकाल अपीलान्टक्रम 1 के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि अपीलान्ट्स समस्त के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया जाना चाहिए था। खातेदार मरने की स्थिति में उसके सभी प्राकृतिक वारिसान खातेदार के स्थान पर उत्तराधिकारी होते हैं।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि वकील अपीलान्ट ने कथन किया कि मृतक खातेदार सुन्दरलाल के वारिसान में तीन पुत्री क्रमशः उर्मिला. गुडडी. रामवती व पत्नि कस्तुरी हैं। रामवती फौत हो चुकी है। जिसके वारिसान क्रमशः अपीलान्ट क्रम 2 लगायत 5 है। मृतक का फोती इन्तकाल अपीलान्टक्रम 1 के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि खातेदार मरने की स्थिति में उसके सभी प्राकृतिक वारिसान खातेदार के स्थान पर उत्तराधिकारी होते हैं। जो उचित प्रतीत होता हैं।

अतः उपरोक्त विस्तृत विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरण क्रमांक 166 दिनांक 31.12.2001 ग्राम मंडीसहजना तहसील शाहबाद जिला बारां राज. को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शाहबाद को रिमाण्ड कर आदेश दिया जाता है कि मृतक खातेदार सुन्दरलाल की विरासत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार तय कर बाद जांच पुनः नामान्तरण दर्ज करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 23.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.07.26 15:28:50 IST
Reason: SelfAttested